<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

भारत के उच्चतम न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>2009 की आपराधिक अपील संख्या 987</u>

रवि ढींगरा ..... अपीलकर्तागण

बनाम

हरियाणा राज्य ..... प्रतिवादीगण

के साथ

2009 की आपराधिक अपील संख्या 989-990
2009 की आपराधिक अपील संख्या 986
2009 की आपराधिक अपील संख्या 988
और
<u>आपराधिक अपील संख्या 2023 का 645</u>

(@ विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक संख्या 2012 की संख्या 5296)

<u>निर्णय</u>

<u>नागारत्ना, न्यायाधीश</u>

2012 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 5296 में अनुमति दी गई। अन्य सभी मामलों में अनुमति पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

2. उपस्थित अपीलें उन पांच अभियुक्तों द्वारा दायर की गई हैं जिनकी दोषसिद्धियों की पुष्टि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 13.02.2008 के आक्षेपित निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 148,149 और 364ए के तहत की गई है।

आपराधिक अपीलें /एसएलपी संख्या	आरोपियों के नाम	छूट के साथ गुजरी हिरासत की अवधि
2009 की आपराधिक अपील संख्या 987	रमन गोस्वामी (मृत, अभियुक्त संख्या 3)	जेल हिरासत प्रमाणपत्र दिनांक 31.01.2023 के अनुसार 6 साल, 8 महीने और 10 दिन (मृतक)। अपील समाप्त हो जाती है।
2009 की आपराधिक अपील संख्या 987	रवि ढींगरा (आरोपी संख्या 4)	7 वर्ष, 10 माह और 13 दिन (31.01.2023 के जेल अभिरक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार 13.05.2009 से जमानत पर)
आपराधिक अपील संख्या 2009 की 986 और 2009 की 988	लक्ष्मी नारायण (आरोपी संख्या 5)	अभिरक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
आपराधिक अपील संख्या 989-990/2009	बलजीत पाहवा (आरोपी संख्या 2)	7 वर्ष, 8 माह और 2 दिन (31.01.2023 के जेल अभिरक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार 13.05.2009 से जमानत पर)
2012 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5296	परवेज खान (आरोपी संख्या 1)	3 साल, 7 महीने और 2 दिन (31.01.2023 के जेल अभिरक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार 28.07.2012 से जमानत पर)

रमन गोस्वामी द्वारा दायर 2009 की आपराधिक अपील संख्या 987 को उनकी मृत्यु के कारण दिनांक 08.04.2019 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, केवल रवि ढींगरा के संबंध में आपराधिक अपील संख्या 987/2009 पर विचार किया जाता है। इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है।

3. संक्षेप में, शिकायतकर्ता डॉ. एच. के. सोबती (पीडब्ल्यू-20) के अनुरोध पर थानेसर शहर के पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 64 के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने डॉ. एच. के. सोबती और श्रीमती इंद्र सोबती (पीडब्ल्यू-5) के पुत्र हर्ष (पीडब्ल्यू-21), जो 14 साल का था, का उस समय अपहरण कर लिया था जब वह स्कूल जा रहा था। स्टेशन हाउस अधिकारी ने इस टिप्पणी के साथ प्राथमिकी दर्ज की थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34 के तहत मामला तथ्यों से बनता प्रतीत होता है। पीडब्लू-21 के बयान के अनुसार, उसे सह-आरोपी रवि ढींगरा ने अपने स्कूटर पर पीछे बैठने के लिए धमकाया और मना करने पर उसे जबरन कार में डाल दिया गया। सुरक्षा के लिए चिल्लाने पर उसे धमकी दी गई कि अगर वह रोएगा तो उसे चाकू और पिस्तौल से मार दिया जाएगा। उन्होंने उसे यह भी बताया कि उसके संपन्न पिता 50 लाख रुपये की फिरौती भी दे सकते हैं।

जांच में पता चला कि पीडब्ल्यू-21 को मकान संख्या 772, सेक्टर-13, कुरुक्षेत्र में रखा गया था। श्रीमती कांता गोयल (पीडब्ल्यू-2) जो मकान नंबर 1653/13 की निवासी थीं, जो उक्त स्कूल के पास था और 9 वीं कक्षा के एक अन्य छात्र, मनीष (पीडब्ल्यू-4) ने उन्हें बताया कि सुबह 8:15 बजे दो लड़कों, जिनके चेहरे ढंके हुए थे, ने हर्ष को बिना नंबर प्लेट वाली और रंगीन शीशे वाली मारुति कार में बिठा दिया था। बाद में, उसी दिन, फिरौती की मांग करने वाले कॉल प्राप्त हुए, जिस पर कार्रवाई करते हुए, पीडब्लू-20 मांगी गयी फिरौती के साथ संबंधित स्थान पर पहुंच गया। जब वह अपीलार्थियों द्वारा फिरौती प्राप्त करने और उसके बच्चे को छोड़ने का इंतजार कर रहा था, पी डब्ल्यू-21 हर्ष सोबती को 16.2.2000 को सुबह 04:00 बजे से 04:30 बजे के बीच रिहा किया गया और पी डब्ल्यू-11 सूरज भान राठी के घर के छोड़ दिया गया। उन्होंने उसकी मां को फोन किया, जो उन्हें सुबह लगभग 5:30 बजे अपने घर ले गईं।

4. यह कि फिरौती की मांग और पूछताछ पीडब्लू-20 को 09.03.2000, 12.03.2000, 13.03.2000 और 14.03.2000 को पत्रों और टेलीफोन संदेशों के माध्यम से की गई थी। फिरौती के संबंध में एक अन्य संदेश 15.03.2000 को दोपहर 2:30 बजे टेलीफोन के माध्यम

से प्राप्त हुआ। उसने अपीलकर्ताओं को सूचित किया कि वह 15 लाख रुपये की व्यवस्था नहीं कर सका, उसने 12 लाख रुपये की व्यवस्था की थी। इन संदेशों में प्राप्त निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पीडब्लू-20 पुलिस को सूचित करने के बाद, पैसों की थैली के साथ, रात 8:15 बजे ट्रेन में सवार हुआ। जब ट्रेन अंबाला में रुकी तो वह उतर गया। वह कुरुक्षेत्र वापस चला गया जहाँ से उसे पैसे की थैली के साथ अपना घर छोड़ने और करनाल आने के लिए कहा गया। पीडब्लू-20 सिविल ड्रेस में दो उप-निरीक्षकों के साथ अपनी कार में गया। एक पुल के पास एक बैग में नकदी की डिलीवरी पर, यह पता चला कि एक इंजीनियरिंग छात्र रवि दूहन (पीडब्लू-19) के नाम से पंजीकृत एक मोबाइल फोन से कॉल किए गए थे। उसने खुलासा किया कि उसके दोस्तों, अपीलकर्ताओं ने उसका फोन उधार लिया था। 17.03.2000 को, रवि ढींगरा, बलजीत पाहवा, परवेज खान और रमन गोस्वामी नाम के चार आरोपी व्यक्तियों के ठिकाने के बारे में गुप्त सूचना मिलने पर, आरोपी लक्ष्मी नारायण को छोड़कर जिन्हें 03 अप्रैल, 2000 को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र ने 06.06.2000 को इस मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

5. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कुरुक्षेत्र, ('ट्रायल कोर्ट', सुविधा के लिए) ने भारतीय दंड संहिताकी धारा 364, 364ए, 342, 506 सहपठित धारा 148 के तहत अपराध करने के आरोपी अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाया। अभियोजन पक्ष ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत अपीलकर्ताओं के बयानों सहित 27 गवाह और 72 दस्तावेजी प्रदर्श प्रस्तुत किए (इसके बाद 'सीआरपीसी', संक्षेप में) और 5 मामले की संपत्तियां। अपीलकर्ताओं की ओर से 13 दस्तावेजी प्रदर्श प्रस्तुत किए गए। विचारण अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं - अभियुक्तों के बयान दर्ज किए।

6. अपीलकर्ताओं ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया था और पकड़े जाने के बाद उन्हें अवैध कारावास में रखा गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनकी तस्वीरों को स्थानीय

मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किए जाने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ सामना करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि 18.03.2000 को अदालत के समक्ष पेश किए जाने से पहले उन्हें प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 20.03.2000 को जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।

7. विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त कथनों और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थियों ने एक विधिविरुद्ध सभा का गठन किया और एक सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में, उसके पिता को 15 लाख रुपए की फिरौती राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए पी डब्लू-21 का अपहरण किया। विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ताओं ने पीडब्ल्यू-21 के कारावास और फिरौती का भुगतान करने के लिए पीडब्ल्यू-20 को मजबूर करने के लिए उसे मौत धमकी देकर, लाभ उठाने की कोशिश की।

विचारण न्यायालय को पीडब्लू-21 के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला।

इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 और 364ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर सजा में नरमी की प्रार्थना की कि उनके बूढ़े माता-पिता हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। विचारण न्यायालय ने मुकदमे का निष्कर्ष निकाला और 29.05.2003 को अपना फैसला सुनाया। विचारण अदालत ने आरोपी-अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत तीन साल के सश्रम कारावास और आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित धारा 364ए के तहत आजीवन कठोर कारावास और प्रत्येक को 2000 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई। विचारण अदालत ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि विचाराधीन हिरासत की अवधि को set off (समायोजित) कर दिया जाएगा और दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

8.	अपीलकर्ताओं ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश के खिलाफ अपील की। उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए के तहत फिरौती के लिए अपहरण के अपराध में अपीलकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें उससे जोड़ने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं। उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-21 के बयान को महत्वपूर्ण करार दिया और उसी पर भरोसा करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए के सभी अवयवों को संतुष्ट किया गया था।

उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष के मामले में तात्विक विसंगति थी और यह माना कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। पीडब्लू-21 के संबंध में, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि *वह एक बाल गवाह था, लेकिन उसने लंबी और खोजी प्रतिपरीक्षा का सामना किया* और उसके संस्करण में कोई विरोधाभास नहीं है। इसने पीडब्लू-20 के रुख में विरोधाभासों के बारे में तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि *जांच में विसंगति अपने आप में एक विश्वसनीय गवाह की गवाही को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है*। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पीडब्लू-20 और पीडब्लू-21 की गवाही के आधार पर, *"अपराध के साथ अभियुक्त का संबंध उचित संदेह से परे स्थापित होता है।"*

9.	उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 या 365 के अधीन या भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन किसी अपराध के लिए, जिसमें सात वर्ष से अधिक के लंबे समय तक निरोध के आधार पर आजीवन कारावास के न्यूनतम दंडादेश का उपबंध नहीं है, दोषसिद्धि को उपांतरित करने के अपीलार्थियों के अभिवाक को अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले और सजा से व्यथित होकर, अभियुक्तों ने अपनी-अपनी विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें अनुमति दी गई है और अब इसे आपराधिक अपील माना जाता है।

11.05.2009 को, इस न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ताओं ने सात साल जेल की सजा काट ली थी और उन्हें आवश्यक शर्तों पर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत दी जा सकती थी। इसने विशेष अनुमति याचिकाओं में अपील करने की अनुमति भी दी और मामलों को स्वीकार किया।

10. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता-आरोपी ने प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य के बारे में गंभीर संदेह है कि अपीलकर्ता वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हर्ष सोबती, पी डब्लू-21 का अपहरण किया था, लेकिन नीचे के न्यायालयों ने पी डब्लू-21 के साक्ष्य पर विश्वास करने के कारण पाए हैं। इस प्रकार, जांच के बारे में सवाल उठाते हुए बरी करने के लिए दिए गए तर्कों को स्वीकार किए बिना, अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया है कि उनकी क़ैद की लंबी अवधि का न्यायिक नोटिस लिया जाए और भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए के तहत उनकी कैद और दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत दोषसिद्धि में संशोधित किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा नियुक्त अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल ने ***एस. के. अहमद बनाम तेलंगाना राज्य, (2021) 9 एस. सी. सी. 59 (एस. के. अहमद)*** पर भरोसा किया, यह तर्क देने के लिए कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए के आवश्यक तत्व साबित नहीं हुए हैं। उनके तर्क का सार यह था कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अवहेलना की है कि 15 अप्रैल, 2002 को न्यायालय के समक्ष पीडब्लू-21 का बयान 15 फरवरी, 2000 को पुलिस को दिए गए बयान से काफी बेहतर था। इसलिए, उन्होंने कहा कि मौत या चोट पहुंचाने का कोई खतरा साबित नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मृत्यु या चोट के कारण के आधार पर फिरौती की कोई मांग साबित नहीं की जा सकी क्योंकि यह पुलिस से निकली थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-12 पलट गया और पीडब्लू-13 केवल एक सांयोगिक गवाह था. इसलिए, आक्षेपित निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सकता है और

अपीलकर्ताओं को दी गई सजा को संशोधित करके राहत दी जा सकती है, भले ही अपीलकर्ताओं को बरी करना संभव न हो।

दूसरी ओर, श्री राकेश मुद्गल, प्रतिवादी राज्य के लिए विद्वान एएजी ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और तर्क दिया कि इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय अपने तर्कों और यहां अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों को खारिज करने में न्यायसंगत था।

11. रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों और पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी निवेदनों को देखते हुए, हम इस अपील में विचार किए जाने वाले बिंदु को इस बात तक सीमित करना उचित समझते हैं कि क्या इस मामले में तथ्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए के तहत अपराध को आकर्षित करते हैं और यदि उत्तर नकारात्मक में है, तो क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत सजा के लिए दोषसिद्धि को संशोधित करना न्यायोचित और उचित होगा।

इस मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए धारा 361के साथ पठित धारा 363, 364, 364 ए के उपबंधों की तुलना की जानी चाहिए। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैं :

> **धारा 361: विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण।** जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो, अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।
>
> स्पष्टीकरण.-इस धारा में “विधिपूर्ण संरक्षक” शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देख-रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।
>
> अपवाद. इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण

अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए।

x xx

धारा 363: व्यपहरण के लिए दण्ड जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 364. हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण।जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 364ए। मुक्ति धन (फिरौती) इत्यादि के लिए व्यपहरण-जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है अथवा ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् किसी व्यक्ति का निरोध करता है, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी देता है, अथवा अपने आचरण द्वारा ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपहति कारित की जा सकती है अथवा ऐसे व्यक्ति को उपहति या मृत्यु, सरकार को या किसी विदेशी राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्शासकीय संगठन अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या कार्य को करने से विरत रहने अथवा मुक्ति-धन अदा करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से कारित करता है, मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

12. हम यह नोट करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 व्यपहरण के कृत्य को दंडित करती है और इसकी धारा 364 किसी व्यक्ति की हत्या के लिए उसके व्यपहरण या अपहरण के अपराध को दंडित करती है। धारा 364ए मुक्ति धन (फिरौती) की मांग करने के लिए जबरदस्ती हिंसा या उसके पर्याप्त खतरे को शामिल करके अपराध की गंभीरता को

और बढ़ाती है। तदनुसार, तीनों अपराधों के लिए अधिकतम दंड क्रमशः सात वर्ष और दस वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास या मृत्यु दंड है।

व्यपहरण के निंदनीय कृत्य का अपराधीकरण करते समय संसद के सूक्ष्म, श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए।

अपराध के विभिन्न घटकों और दंड की कठोरता का निर्वचन करने और आक्षेपित निर्णयों का मूल्यांकन करने से पहले, हम **लोहित कौशल बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 17 एससीसी 106** में इस न्यायालय की टिप्पणियों को दोहराना उचित समझते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः

> 15. .... यह सच है कि व्यपहरण जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत समझा जाता है, वास्तव में एक निंदनीय अपराध है और जब एक असहाय बच्चे का मुक्ति धन (फिरौती) के लिए व्यपहरण किया जाता है और वह भी करीबी रिश्तेदारों द्वारा, तो घटना और भी अस्वीकार्य हो जाती है। हालांकि, अपराध की गंभीरता और इससे न्यायालय के मन में जो घृणा पैदा होती है, वे ऐसे कारक हैं जो ऐसे मामलों में एक अभियुक्त के निष्पक्ष परीक्षण के खिलाफ भी जाते हैं। इसलिए, एक न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता और न्यायिक विचारों के बजाय भावनाओं द्वारा अपने निर्णयों में प्रभावित होने की संभावना के खिलाफ सावधान रहना चाहिए।

13. इस न्यायालय ने, विशेष रूप से **अनिल बनाम दमन और दीव प्रशासन, (2006) 13 एस. सी. सी. 36 (अनिल), विश्वनाथ गुप्ता बनाम उत्तरांचल राज्य (2007) 11 एस. सी. सी. 633 (विश्वनाथ गुप्ता) और विक्रम सिंह बनाम भारत संघ, (2015) 9 एस. सी. सी. 502 (विक्रम सिंह)** में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए के अधीन अपराध के किए जाने के लिए दोषसिद्धि का आदेश देने के लिए आवश्यक तत्वों को निम्नलिखित रीति से स्पष्ट किया हैः

(क) **अनिल** में, उन मामलों के संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियां की गई थीं जहां अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके संबंध में कोई आरोप तय नहीं किया गया है। उक्त मामले में, सवाल यह था कि क्या उसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की

धारा 364 ए के तहत दोषी ठहराया जा सकता था, जब विरचित आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के साथ पठित धारा 34 के तहत था। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से चुने जा सकने वाले प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं: "

54. उपर्युक्त निर्णयों में से विधि के कथन/तर्कवाक्य, जिन्हें उपरोक्त निर्णयों से निकाला जा सकता है, इस प्रकार हैं :

(i) अपीलकर्ता पर आरोपों के गलत संयोजन (मिसजोइंडर) के कारण किसी पूर्वाग्रह / कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(ii) गौण अपराध के लिए दोषसिद्धि अनुज्ञेय है।

(iii) इसका परिणाम न्याय की विफलता नहीं होना चाहिए।

(iv) यदि पर्याप्त अनुपालन होता है, तो आरोपों का गलत संयोजन (मिस जोइंडर) घातक नहीं हो सकता है और इस तरह के गलत संयोजन (मिस जोइंडर) केवल आरोप तय करने के लिए गलत संयोजन (मिस जोइंडर) से उत्पन्न होने चाहिए।

55. धारा 364 और 364-ए के तहत अपराध करने के लिए अवयव भिन्न-भिन्न हैं। व्यपहरण करने का आशय जिससे कि उसकी हत्या की जा सके या उसका इस प्रकार निपटारा किया जा सके कि वह खतरे में पड़ जाए क्योंकि हत्या दंड संहिता की धारा 364 की अपेक्षाओं को पूरा करती है, उसकी धारा 364-ए के अधीन अपराध करने के लिए दोषसिद्धि अभिप्राप्त करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि न केवल ऐसा अपहरण या दुष्प्रेरण हुआ है बल्कि उसके पश्चात् अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कारित करने या उपहति कारित करने की धमकी दी है या उसके आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश करने के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है या उपहति कारित किया जा सकता है।

56. इस प्रकार, दमन के विद्वान सत्र न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य था कि वह ऐसा आरोप विरचित करे जो दंड संहिता की धारा 364-ए के अधीन परिकल्पित अपराध के विवरण का उत्तर दे। यह सच हो सकता है कि व्यपहरण मुक्ति धन (फिरौती) पाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन आरोप तय करते समय इसे अपीलकर्ता के सामने रखा जाना चाहिए था। अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह स्पष्ट है क्योंकि किसी भी आरोप की विरचना करते समय एक उच्च (अर्थात मुख्य/ प्रधान) अपराध के अवयवों को उसके समक्ष नहीं रखा गया था। ”

(ख) **विश्वनाथ गुप्ता** के मामले में, यह निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

"**8.** धारा 364-ए के अनुसार, जो कोई भी किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है और उसे क़ैद में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी देता है और उसके आचरण से एक युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मारा जा सकता है या चोट पहुंचाई जा सकती है, और मुक्तिधन (फिरौती) मांगता है और यदि मृत्यु हो जाती है, तो उस मामले में आरोपी को मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

9. धारा 364-ए का महत्वपूर्ण घटक व्यपहरण या अपहरण है, जैसा भी मामला हो। तत्पश्चात् व्यपहृत/अपहृत को यह धमकी दी जाती है कि यदि मुक्तिधन (फिरौती) की मांग पूरी नहीं की गई तो पीड़ित को मार दिया जायेगा और यदि मृत्यु हो जाती है तो धारा 364-ए का अपराध पूर्ण हो जाता है। इस खंड में तीन चरण हैं, एक है व्यपहरण या अपहरण, दूसरा धन की मांग के साथ मौत की धमकी और अंत में जब मांग पूरी नहीं होती है, तो मृत्यु। यदि ये तीनों तत्व उपलब्ध हैं तो यह दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत अपराध का गठन करेगा। इन तीनों तत्वों में से कोई भी एक स्थान पर या अलग-अलग स्थानों पर हो सकता है।

(ग) **विक्रम सिंह** में, यह निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

> " **25**. ... धारा 364 -ए भारतीय दंड संहिता में तीन अलग-अलग घटक हैं अर्थात (i) संबंधित व्यक्ति व्यपहरण या अपहरण या व्यपहरण या अपहरण के बाद पीड़ित को क़ैद में रखता है; (ii) मार देने या चोट पहुँचाने की धमकी देता है या मृत्यु या चोट लगने की आशंका का कारण बनता है या वास्तव में चोट पहुँचाता है या मृत्यु का कारण बनता है; और (iii) व्यपहरण, अपहरण या क़ैद और मौत या चोट की धमकी, ऐसी मौत या चोट या वास्तविक मौत या चोट की आशंका संबंधित व्यक्ति या किसी और को कुछ करने या कुछ करने से रोकने के लिए मजबूर करने के लिए होती है या मुक्तिधन (फिरौती) का भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। ये तत्व, हमारी राय में, भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के तहत जबरन वसूली के अपराध से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। मौजूदा कानूनी ढांचे में कमी को विधि आयोग द्वारा देखा गया था और धारा 364-ए भारतीय दंड संहिता के रूप में एक अलग प्रावधान को शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था ताकि मुक्तिधन (फिरौती) की स्थिति को कवर किया जा सके, जिसमें ऊपर उल्लिखित तत्व शामिल हो।"

यह साबित करना आवश्यक है कि न केवल इस तरह का व्यपहरण या दुष्प्रेरण हुआ है, बल्कि इसके बाद आरोपी ने ऐसे व्यक्ति को मार देने या चोट पहुंचाने की धमकी दी या उसके आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका पैदा हुई कि ऐसे व्यक्ति को सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय, अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से विरत रहने या मुक्तिधन (फिरौती) देने के लिए मजबूर करने के लिए मारा जा सकता है या उपहति कारित किया जा सकता है।

14. हाल ही में **एस. के. अहमद** में इस न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए के तीन प्रक्रम या घटक हैं, अर्थात्

i. किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण और उन्हें क़ैद में रखना;

ii. मृत्यु या उपहति कारित करने का खतरा, और मुक्तिधन (फिरौती) की मांग के साथ व्यपहरण, अपहरण या क़ैद का उपयोग, और

iii. जब मांग पूरी नहीं की जाती है, तो मार डालना।

कथित फैसले के प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं :

> " **12**. अब हम यह पता लगाने के लिए धारा 364-ए पर गौर कर सकते हैं कि अपराध के लिए धारा स्वयं किन तत्वों पर विचार करता है। जब हम धारा 364-ए की व्याख्या करते हैं तो निम्नलिखित स्पष्ट होता है:
>
> (i) जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या ऐसे अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है,
>
> (ii) और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी देता है, या अपने आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका पैदा करता है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है या उपहति की जा सकती है,
>
> (iii) या सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से परहेज करने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को आहत या मृत्यु कारित करता है"

(iv) "मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"

धारा 364-ए में शामिल पहली आवश्यक शर्त यह है कि "जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या किसी व्यक्ति को ऐसे अपहरण या अपहरण के बाद हिरासत में रखता है।" दूसरी शर्त 'और' संयोजन से शुरू होती है। दूसरी शर्त के दो भाग भी हैं अर्थात (क) ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या आहत कारित करने की धमकी देता है या (ख) उसके आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या आहत कारित की जा सकती है। उपरोक्त शर्त का कोई भी भाग, यदि पूरा किया जाता है, तो अपराध के लिए दूसरी शर्त को पूरा करेगा। तीसरी शर्त "या" शब्द से शुरू होती है अर्थात सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से परहेज करने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को आहत या मृत्यु कारित करता है। तीसरी शर्त इन शब्दों से शुरू होती है "या ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या मृत्यु का कारण बनता है ताकि सरकार या किसी विदेशी राज्य को कोई कार्य करने या करने से परहेज करने या फिरौती का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सके।" धारा 364-ए में 'फिरौती के लिए अपहरण' आदि शीर्षक है। फिरौती मांगने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपहरण पूरी तरह से धारा 364-ए के अंतर्गत आता है।

13. हमने देखा है कि पहली शर्त के पश्चात् दूसरी शर्त संयोजन द्वारा जोड़ी जाती है और इस प्रकार, जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है, ऐसे अपहरण या अपहरण के पश्चात् किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या आहत कारित करने की धमकी देता है।

14. संयोजन का उपयोग "और" उसका उद्देश्य और पदार्थ।धारा 364-**ऐ में "या" नौ बार शब्द का प्रयोग किया गया है और पूरी धारा में केवल एक ही संयोजन "और" है और जो पहली और दूसरी शर्त में शामिल होता है।** इस प्रकार, धारा **364-**ए के तहत किसी अपराध को कवर करने के लिए, पहली शर्त को पूरा करने के अलावा, दूसरी शर्त अर्थात 'और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या चोट पहुंचाने की धमकी देता है' को भी साबित करने की आवश्यकता है, यदि मामला धारा 364-ए के बाद के खंडों के अंतर्गत नहीं आता है।

15. 'और' शब्द का उपयोग संयोजन के रूप में किया जाता है। शब्द 'या' का उपयोग स्पष्ट रूप से विशिष्ट है। दोनों शब्दों का उपयोग अलग-अलग उद्देश्य और पदार्थ के लिए किया गया है। आपराधिक कानून के संबंध में "असंगत" और "संयुक्त" शब्दों पर विचार करते समय कानून की व्याख्या पर क्रॉफोर्ड ने निम्नलिखित बयान दियाः

> "...........न्यायालय को आपराधिक कानून में संयोजी शब्दों के स्थान पर विघटनकारी शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए अत्यधिक अनिच्छुक होना चाहिए और इसके विपरीत, यदि ऐसी कार्रवाई अभियुक्त को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।"

xxx

33. उपर्युक्त मामलों में धारा 364-ए के सांविधिक प्रावधान और इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि पर ध्यान देने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धारा 364-ए के अधीन किसी अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के लिए आवश्यक तत्व जिन्हें अभियोजन द्वारा साबित किया जाना अपेक्षित है, निम्नानुसार हैं:

(i) किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् किसी व्यक्ति को कैद में रखना; और

(ii) ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या आहत कारित करने की धमकी देता है, या उसके आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है या उपहति कारित किया जा सकता है या।

(iii) सरकार या किसी विदेशी राज्य या किसी सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उससे दूर रहने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को आहत या मृत्यु कारित करता है।

इस प्रकार, पहली शर्त स्थापित करने के बाद, एक और शर्त को पूरा करना होगा क्योंकि पहली शर्त के बाद, उपयोग किया गया शब्द है और। इस प्रकार, पहली शर्त के अलावा या तो शर्त (ii) या (iii) को साबित करना होगा, जिसमें विफल रहने पर धारा 364-क के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।"

इस प्रकार, एस. के. अहमद में इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया और उसे धारा 363 के अधीन

दोषसिद्धि में इस कारण से उपांतरित कर दिया कि अतिरिक्त शर्तों को निम्नलिखित रूप में मत व्यक्त करके पूरा नहीं किया गयाः

> "**42.** दूसरी शर्त साबित नहीं होने के बाद, हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण में सार पाते हैं कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत टिकाऊ नहीं है।हम, इस प्रकार, धारा 364-ए के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को खारिज़ करते हैं। हालांकि, अपहरण के बारे में रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से, यह साबित हो जाता है कि आरोपी ने पीड़िता का अपहरण फिरौती के लिए किया था, फिरौती की मांग भी साबित हो गई थी।भले ही धारा 364-ए के तहत अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है, लेकिन अपहरण का अपराध पूरी तरह से स्थापित हो गया है, जिसके प्रभाव में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पैरा 19 और 20 में एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है। अपहरण का अपराध साबित हो जाने पर, अपीलकर्ता को धारा 363 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए। धारा 363 दंड का प्रावधान करती है जो किसी भी प्रकार का कारावास है जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।"

15. अब, हम वर्तमान मामले में उपरोक्त अनुपात की प्रयोज्यता पर विचार करेंगे और पीडब्लू-21 के बयानों में विरोधाभासों के बारे में अपीलकर्ताओं के तर्क पर विचार करेंगे। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि बयान महत्वपूर्ण हैं। हम यह भी नोट करते हैं कि नीचे के न्यायालयों ने, जैसा कि अपहरण के मामलों में सामान्य है, 'मृत्यु या आघात पहुंचाने के खतरे' के तत्व को साबित करने के लिए या यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अपीलकर्ता के आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है या आघात पहुंचाई जा सकती है। हमने 18 फरवरी, 2000 को पुलिस को दिए गए पीडब्लू-21 के बयान का अवलोकन किया है, अर्थात्, अपीलकर्ताओं की कैद से घर लौटने के दो दिन बाद-यहां। बयान दर्ज करते हैं कि उन्हें अपीलकर्ताओं द्वारा रात में एक 'रिवॉल्वर' के साथ धमकी दी गई थी, जो उनके पास होने का दावा किया गया था। यथार्थ कथन यह था कि एक रूमाल और एक काले कपड़े को आंखों पर

बांध दिया गया था और मुझसे कहा गया था कि उनके पास रिवॉल्वर है और अगर वह कोई आवाज उठाता है तो वे उसे मार डालेंगे।" हालांकि, शुरुआती बयान के लगभग दो साल बाद, 15 अप्रैल 2002 को निचली अदालत के समक्ष दिए गए बयान में एक महत्वपूर्ण विवरण शामिल है जिसे पिछले बयान में छोड़ दिया गया था। इस बात का उल्लेख करने के बाद कि पीडब्ल्यू-21 को जबरन कार के अंदर डाल दिया गया था और बंद कर दिया गया था, बयान में कहा गया है, "हमलावरों ने मुझे चाकू और पिस्तौल से धमकी दी और मुझे मारने की धमकी दी।" इस प्रकार, तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं: पहला, खतरे के ठीक समय में परिवर्तन-दूसरा, खतरे की सुपुर्दगी की विशिष्टता-एंजेलिना को मारने का खतरा और तीसरा, खतरे के पीछे के इरादे की चूक-यानी पीडब्ल्यू-21 को रोने से रोकने के लिए।

ये विवरण धारा 364-ए के तहत आरोप के दूसरे घटक को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस धारा के तहत अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक हैं, अर्थात्, धमकी जिसके परिणामस्वरूप यह युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है या चोट पहुंचाई जा सकती है। यह स्पष्ट है कि यह घटक तर्कसंगत संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।निचले न्यायालयों ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराने से पहले इस संदेह को पूरी तरह से दूर नहीं किया।धमकी के घटक को साबित करने के लिए, उसे चुप कराने के उद्देश्य से बाल पीड़ित को डराना पर्याप्त नहीं है।यदि अधिकतम मृत्यु दंडादेश और न्यूनतम आजीवन दंडादेश वाले दंडादेश की साक्ष्य संबंधी सीमा इतनी कम है तो 363, 364 और 364- ए के अधीन अपहरण के लिए दंडों के बीच का अंतर निरर्थक हो जाएगा।

16. विशेष रूप से, हम यह नोट करते हैं कि उच्च न्यायालय ने मल्लेशी बनाम कर्नाटक राज्य, **(2004) 8** एस. सी. सी. **95 (मल्लेशी)** में पूर्वोदाहरण को ठीक से लागू

नहीं किया। उक्त मामले के तथ्य, एक बड़े लड़के के अपहरण के संबंध में, उस पार्टी के इर्द-गिर्द घूमते थे जिससे धारा 364-ए के तहत अपराध को घर लाने के लिए फिरौती की मांग की जानी चाहिए। एस. के. अहमद में यह पाया गया कि मल्लेशी मामले में फिरौती की मांग पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि मूल रूप से अपहरण किए गए व्यक्ति से मांग की गई थी और केवल यह तथ्य कि यह मांग करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को सूचित नहीं किया जा सकता था क्योंकि इस बीच गिरफ्तार अभियुक्त धारा 364 ए की शर्तों के प्रभाव को दूर नहीं करता था। जैसा कि एस. के. अहमद में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है, मल्लेशी केवल फिरौती से संबंधित था और इसका अनुपात उन मामलों में कोई सहायता नहीं करेगा जहां धारा 364ए के तहत अपराध के अन्य घटकों की पूर्ति पर सवाल उठाया जाता है।

17. वर्तमान मामले के तथ्यों में, इसलिए हम अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता, श्री गौरव अग्रवाल के प्रस्तुतीकरण से सहमत हैं कि आईपीसी की धारा 364ए के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।

18. इस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अधीन आरोप में परिवर्तन करने की व्यापक शक्ति है, जबकि अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले, जैसा कि जसविंदर सैनी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) **(2013) 7** एससीसी **256,** पैरा **11;** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम करीमुल्ला ओसन खान **(2014) 11** एससीसी **538,** पैरा संख्या **17** और **18** में दोहराया गया है। **डॉ. नल्लारेड्डी श्रीधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2020) 12 एससीसी 467, पैरा संख्या 21 में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां भी शिक्षाप्रद है:**

> "**21.** उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि धारा 216 न्यायालय को किसी भी आरोप को बदलने या परिवर्तन के लिए अनन्य और व्यापक शक्ति प्रदान करती है।उपधारा (1) में "निर्णय के पूर्व किसी भी समय" शब्दों का उपयोग न्यायालय को साक्ष्य, तर्क और निर्णय को

सुरक्षित रखने के बाद भी आरोपों को बदलने या जोड़ने की अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए सशक्त करता है। आरोप में परिवर्तन या वृद्धि तब की जा सकती है जब न्यायालय की राय में आरोप की विरचना में कोई चूक हुई हो या यदि अभिलेख पर लाई गई सामग्री की प्रथमदृष्टया जांच के बाद न्यायालय कथित अपराध गठित करने वाले तथ्यात्मक अवयवों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमान की राय बनाने के लिए अग्रसर होता है।किसी आरोप के परिवर्धन या वृद्धि का विनिश्चय करते समय न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली कसौटी यह है कि अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अभिकथित अपराध के अवयवों के साथ प्रत्यक्ष संबंध या कड़ी होने की आवश्यकता है।आरोप को जोड़ने से केवल अतिरिक्त आरोपों के लिए मुकदमा शुरू होता है, जिसके बाद, साक्ष्य के आधार पर, यह निर्धारित किया जाता है कि क्या अभियुक्त को अतिरिक्त आरोपों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।न्यायालय को धारा 216 के अधीन अपनी शक्तियों का न्यायोचित रूप से प्रयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और उसे निष्पक्ष विचारण की अनुमति दी जाए।न्यायालय की शक्ति पर एकमात्र बाधा यह है कि आरोपों के परिवर्धन या वृद्धि द्वारा अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।उपधारा (4) तदनुसार उन न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को विहित करती है जहां प्रतिकूल प्रभाव कारित किया जा सकता है।"

इसलिए, हम अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और आईपीसी की धारा 364ए के तहत दोषसिद्धि को दरकिनार करते हैं।

विद्वान विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय उपरोक्त सीमा तक संशोधित किए जाते हैं। अपीलार्थियों को अब भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है यानी, अपहरण और सात साल के कारावास और 2000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।यदि अपीलार्थियों ने सात साल से अधिक के कारावास को छूट के साथ पूरा कर लिया है और 2000/- रुपये के जुर्माने का भुगतान किया है, तो हम अपीलार्थियों को निर्देश देते हैं कि यदि जमानत पर नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। यदि नहीं, तो

अपीलकर्ता चार सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करेंगे और शेष सजा काटेंगे।

.. जे.
(संजय किशन कौल)

…....................................... जे.
(बी. वी. नागारत्ना)

नई दिल्ली
1 मार्च, 2023.

अस्वीकरणः स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translated by Mr Vishal, Revisor and Mr. Lekh Nath Gautam, Translator.